मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

अवधि: 2:55 मिनट

आईए अब विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों की कार्यप्रणाली के बारे में और जानकारी प्राप्त करें।

- बताए गए नियमों के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के बाल देखरेख संस्थान अलग–अलग परिसर में चलाए जाएंगे।
- बाल–मित्रवत् होंगे और किसी भी स्थिति में जेल या बंदीगृह की तरह नहीं दिखेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा अधिनियम की एक प्रति संस्थानों में रखनी होगी ताकि उसके कर्मचारी और संस्थान में रहने वाले बच्चे उसका प्रयोग कर सकें।
- संस्थान की प्रबंधन समिति होगी जो संस्थान का प्रबंधन करे और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करे। यह प्रबंधन समिति निर्धारित तरीके से गठित की जाएगी जो संस्थान का प्रबंधन और प्रत्येक बच्चे की प्रगति की निगरानी करे।
- संस्थागत देखरेख में रह रहे प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार की जाएगी।
- बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों, इतिवृत्त और परिस्थितियों को देखते हुए यह योजना विकसित की जाएगी जिसका अंतिम लक्ष्य बच्चे का पुनर्वास तथा समाज में पुनर्एकीकरण हो।
- व्यक्तिगत देखभाल योजना आगे के सत्रों में दिए मार्गदर्षन पर आधारित की जाएगी।
- ऐसे संस्थानों के प्रभारी अधिकारी जहां 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे रह रहे हैं वे संस्थान, निर्धारित गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी और उनकी खुषहाली तथा सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए बाल समिति गठित करने में मदद करेंगे।

अब हम बाल देखरेख संस्थानों की कार्य प्रणाली के बारे में जान चुके हैं। आईए अब किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के नियम 29 (4) के अनुसार बाल देखरेख संस्थानों में देखरेख और संरक्षण का मापदण्ड क्या है इस पर चर्चा करें।

बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे सभी बच्चों के लिए चाहे वे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हों या देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चे हो, देखभाल और संरक्षण का मापदण्ड एक समान है और मॉडल नियम 29 (4) के द्वारा निर्धारित है।

बाल देखरेख संस्थान बाल मित्रवत होंगे और किसी भी तरीके से कारावास या लॉकअप की तरह नहीं दिखेंगे। दोनों लिंगों के बच्चे 10 वर्ष तक एक साथ एक ही संस्थान में रखे जा सकते हैं, 5 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के नहाने तथा सोने के स्थान की अलग–अलग व्यवस्था की जाएगी व छः वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था होगी जिसमें षिषुओं के लिए उपयुक्त सुविधा हो।

7–11 वर्ष और 12–18 वर्ष के आयु वर्ग में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग बाल गृह संचालित किए जाएंगे। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे और देखरेख तथा संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के संस्थान अलग–अलग परिसर में संचालित किए जाएंगे।